तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जयप्रकाश हरवानी बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)

सू.अ. अपील संख्या 62/2024

23/08/2024

अपीलार्थी जयप्रकाश हरवानी निवासी हाउस नं. जे 157, पार्श्वनाथ सिटी, सांगरिया, पाल बाईपास, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2024 में वर्णित 14 बिन्दुओ से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 2044 दिनांक 20.08.2024 से बतलाया कि प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1859 दिनांक 28.05.2024 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के अंतर्गत पैरा 3 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)